फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपीराम अग्रवाल आर.टी.आई. रिसर्च सेन्टर, बॉसवाडा — **अपीलांट**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 46/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 15.09.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/728—29 दिनांक 11.09.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 09.07.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 27.07.2020 को व इस अनुभाग को 27.07.2020 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन 09.07.2020 से चाही गई सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार वांछित सूचना इस अनुभाग को जरिये पत्रांक 1838 दिनांक 08.09.2020 से भिजवाई गई जिसे प्रार्थी अपीलार्थी को वांछित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 7(6) के तहत प्रार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड पत्रांक क्रमांक प.1( )सू0अ0,05/2020/712 दिनांक 09.09.2020 से प्रेषित की जा चुकी हैं। प्रार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 7(6) के तहत प्रार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड प्रेषित की जा चुकी हैं। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक के प्रेषित किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)